संख्या- 7/2015/149 ई-2/तेरह-2015-216/90

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 फरवरी,2015

विषय:- अल्कोहल वर्ष 2014-15 में मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर को ग्रेन ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-42/नौ-2013-14/अ0नि0/692/देश के बाहर, दिनांक 19 जनवरी,2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19 जनवरी,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2014-15 में मे0 रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत 4,00,000(चार लाख) बल्क लीटर ग्रेन ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर द्वारा उक्त मात्रा के निर्यात के पश्चात् देश के बाहर ग्रेन ई0एन0ए0 निर्यात की अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है तो तत्समय आसवक की मांग पर देश के बाहर ग्रेन ई0एन0ए0 के निर्यात की अनुमति पर पुन: तद्नुसार विचार किया जा सकता है।

तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मोहम्मद जुनीद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/Bo/intra